

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the 157-DHARIYAWAD (S.T.) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that :-

SHRI THAVAR CHAND

VILLAGE BHANDLA RAVLA FALA, POST PIPLIYA,
TEHSIL DHARIYAWAD, DISTRICT PRATAPGARH (RAJ.)

sponsored by Bharat Adivasi Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Pratapgarh

Date:- 03-12-2023



(KAPIL KUMAR KOTHARI, RAS)

RETURNING OFFICER

LEGISLATIVE ASSEMBLY 157-DHARIYAWAD (S.T.)

(SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL

MAGISTRATE) DHARIYAWAD

DIST. PRATAPGARH

रिटर्निंग ऑफिसर
157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपरखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री थावर चन्द

गांव भाण्डला रावला फला, पोस्ट पिपलीया,
तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

जो भारत आदिवासी पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- प्रतापगढ़

दिनांक:- 03-12-2023



(कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

रिटर्निंग अधिकारी

157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद,

जिला - प्रतापगढ़

रिटर्निंग ऑफिसर

157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद